Statement

Head of crime	1-1-81 to 31-3-81	1-1-80 to 31-3-80	1-4-80 to 30-6-80	1-7-80 to 30-9-80	1-10-80 to 31-12-80
Dacoity	2	14	6	6	7
Murder	48	47	56	43	39
Att. to murder	57	59	87	54	61
Robbery	50	105	65	80	45
Snatching	26	31	54	81	55
Hurts	394	458	523	512	372
Burglary	408	761	565	583	517
Cycle theft	1139	1431	1264	1479	1280
Misc. theft	2942	3958	3247	3481	3253
Motor vehicle theft	739	705	660	772	738
Misc. IPC	2261	2532	2648	2509	2344
TOTAL	8066	10101	9175	9600	8700

दिल्ली में आइसक्रीम के अनधिकृत विक्रेता

9103. **श्री अनवर अहमद :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में विभिन्न आइसक्रीम कम्पनियों की लगभग 5,000 आइसक्रीम बेचने की रेहड़ियां हैं, लाइसेंसशुदा रेहड़ियों की संख्या केवल 1,000 है और बाकी रेहड़ियों को नगर निगम पुलिस और कम्पनियों की अव्यक्त अनुमति से चलाया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप, सरकार को राजस्व की हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो राजस्व का अपवचन रोकने तथा आइसक्रीम बेचने वालों के नाम में लाइसेंस जारी करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और इस तरह के कदम कब तक उठाए जायेंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख). दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि निर्धारित शर्तों के अनुसार आइसक्रीम बेचने के लिए लाइसेंस आइसक्रीम फैक्टरियों के लाइसेंसधारकों को जारी किए जाते हैं न कि व्यक्तिगत विक्रेताओं को। दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में इस समय चलाई जा रही आइसक्रीम बेचने वाली लाइसेंसशुदा क्रमशः 1692 और 209 रेहड़ियां हैं, रेहड़ियों के अनधिकृत रूप से चलने को रोकने के लिए स्थानीय निकायों द्वारा छापे मारे जाते हैं। 1980-81 के दौरान दिल्ली नगर निगम ने 152 बिना लाइसेंस वाली आइसक्रीम रेहड़ियां उठाई और 16,612/- रु० जुर्माने के रूप में वसूल किये। पुलिस प्राधिकारियों ने भी सूचित किया है कि जब कभी पुलिस की सांठगांठ की कोई शिकायत उनके ध्यान में आती है,

तो उचित जांच पड़ताल की जाती है और कार्रवाई की जाती है।

Setting up of industrial projects in Nagaland

9104. SHRI CHINGWANG KONYAK: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the industrial projects so far taken and proposed in future in Nagaland in the light of the techno-economic data collected by the National Council of Applied Economic Research; and

(b) the projects by the Union Government, joint ventures of the Union and the State Government, and exclusively by the State Government after the investigation by the National Council of Applied Economic Research?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): (a) and (b). National Council of Applied Economic Research carried out a techno-economic survey of Nagaland in 1964-65 under sponsorship by the Government of Nagaland. In their report submitted in 1968, the Council made recommendations for establishment of sugar mills, horticultural industries, forest based industries, livestock-based industries, PVC pipes and fixtures, general engineering workshops and utilisation of cane by-products in the State of Nagaland. Information in regard to various industrial projects established or being established in the light of these recommendations is given as under:—

(i) One sugar mill with an installed capacity of 1000 TCD along with a alcohl unit has been set up by the Nagaland Government at Dimapur.

(ii) The State Government has proposed to set up a Fruit Canning unit during the Sixth Plan period under the Small Scale Industries Sector.

(iii) A pulp and paper projects with a capacity of 33,000 TPA is being set up by the Hindustan Paper Corporation in which the Nagaland Govt. holds 1/8th equity. The latest cost of the project is estimated at Rs. 80.53 crores.

(iv) A plywood factory, which is a joint venture between the Govt. of Nagaland and a private industrialist has also been set up and is already functioning. At present the plant has an annual installed capacity of 1.8 million Sq. mts. of plywood which is being expanded to 2.4 million sq. mts.

"साईमन्स इंडिया" को जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या

9105. श्री धर्मदास शास्त्री : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "साईमन्स इंडिया" को अब तक दिये गये विभिन्न लाइसेंसों की संख्या का मदवार ब्यौरा क्या है और दिये गये लाइसंसों की कुल उत्पादन क्षमता क्या है तथा इनको जारी करने की तारीखें क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उपरोक्त कम्पनी अपनी उत्पादन क्षमता से अधिक का उत्पादन कर रही है और इस प्रकार यह नियमों का उल्लंघन कर रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि यह कम्पनी अपने उत्पादों को निर्धारित मूल्य से अधिक दरों पर बेचती है; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?